सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:—राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा — 215/2024

निर्णय दिनांक:— 24.6.2024

गुरलाल सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— वादीगण

बनाम

1 दर्शन सिह पुत्र हरदयाल सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 जसविन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी कुलदीप सिह जाति जटसिख सा. चौटाला तह. डबवाली जिला सिरसा
3 अमनदीप कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी जनकराज सिह जाति जटसिख सा. चौटाला तह. डबवाली जिला सिरसा
4 अमृतपाल कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी जसकरण सिह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— प्रतिवादीगण

उपस्थित:
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्धू — अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रति स. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।चक 7 ए. एम.पी. खाता स. 52/42 खाता दर्शन सिह ज.स. 2073—76 में वादी व प्रति स. 2 ता 4 के पिता प्रति स. 1 दर्शन सिह पुत्र हरदयाल सिह के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 2 ता 4 के पिता प्रति स. 1 महेन्द्र सिह पुत्र हरदयाल सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।उक्त आराजी हमारी जददी जायदाद है।जिसमें वादी व प्रति स. 2 ता 4 का जन्म से ही हक बनता है।लेकिन प्रति स. 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादी व प्रति स. 1 के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है।घरू बंटवारा अनुसार वादी के हिस्सा में 2.783 है0 आराजी आई है।जो मौका पर वादी के कब्जाकाश्त में है। अतः वादी उक्त 2.783 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करना चाहता है। है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी ने काश्त की सुविधानुसार एवं आराजी के एकीकरण के लिए दावा की दफा 5 के अनुसार घरू विभाजन कर रखा है। उक्त घरू विभाजन अनुसार वादी के हक हिस्सा व कब्जा में निम्नानुसार आराजी आई है तथा इसी मुताबिक वादी अपना अपना खाता अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है:—

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी गुरलाल सिह पुत्र दर्शन सिह का हिस्साः–
चक 7 ए.एम.पी.

161/154 44 24/.253 25/1/.215 25/2/.038 गै.मु.रास्ता = 0.506 है0

161/155 59 4/1/.228 4/2/.025 गै.मु.खाला 5/1/.190 5/2/.025 गै.मु.खाला 5/3/.038 गै.मु.रास्ता 6/1/.015 6/2/.038 गै.मु.रास्ता 7/.253 14/.253 15/1/.215 15/2/.038 गै.मु.रास्ता 16/1/.215 16/2/.038 गै.मु.रास्ता 17/.253 18/.057 = 2.081 है0

162/155 58 1/1/.177 1/3/.019 = 0.196 है0

कुल योग 2.783 है0 आराजी

वादी दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चला आ रहा है लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण तथा सांझा खाता में दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप मुझे दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।अतःचक 7 ए.एम.पी. खाता स. 52/42 खाता दर्शन सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.534 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है।' अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया ।प्रति स. 1 ता 4 की ओर से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 5 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया।साक्ष्य वादी में वादी गुरलाल सिह का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी.पेश किया गया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 52/42 खाता दर्शन सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.534 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4 ने वादी के वाद का कोई विरोध नही किया। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 52/42 खाता दर्शन सिह ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 52/42 खाता दर्शन सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.534 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबूत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

गुरलाल सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

बनाम

1 दर्शन सिह पुत्र हरदयाल सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 जसविन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी कुलदीप सिह जाति जटसिख सा. चौटाला तह. डबवाली जिला सिरसा
3 अमनदीप कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी जनकराज सिह जाति जटसिख सा. चौटाला तह. डबवाली जिला सिरसा
4 अमृतपाल कौर पुत्री दर्शन सिह पत्नी जसकरण सिह जाति जटसिख सा. ढाबां तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
5 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4
मु. स . 215/2024 दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादी व श्री चरणजीत सिह सिद्धू एड. प्रति स. 1 ता 4 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि चक 7 ए.एम.पी. खाता स. 52/42 खाता दर्शन सिह ज.स. 2073–76 की कुल 5.534 है0 आराजी मे से 2.783 है0 आराजी का वादी खातेदार काश्तकार हैं। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त 2.783 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज की जावे।अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है।वादी का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे । दावा की दफा 5 निम्नप्रकार से है:–

वादी गुरलाल सिह पुत्र दर्शन सिह का हिस्सा:–
चक 7 ए.एम.पी.

161/154	44	24/.253 25/1/.215 25/2/.038 गै.मु.रास्ता = 0.506 है0
161/155	59	4/1/.228 4/2/.025 गै.मु.खाला 5/1/.190 5/2/.025 गै.मु.खाला 5/3/.038 गै.मु.रास्ता 6/1/.015 6/2/.038 गै.मु.रास्ता 7/.253 14/.253 15/1/.215 15/2/.038 गै.मु.रास्ता 16/1/.215 16/2/.038 गै.मु.रास्ता 17/.253 18/.057 = 2.081 है0
162/155	58	1/1/.177 1/3/.019 = 0.196 है0
		कुल योग 2.783 है0 आराजी

निज........X........ मुब्लिक........X........ बाबत........X........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबूत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2024............ को जारी की गई।

नोट:– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया